

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 12/17

सन् 2017

आरसीएमएस पोर्टल नम्बर (2017/00161)

बउनवानी:-

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री दुलीचन्द मथुरिया, निवासी जटवाडा खुर्द, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

वनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर
2. रूपराम पुत्र श्री रतन लाल मीना निवासी कावड तह. चौथ का बरवाडा
3. इन्द्रराज पुत्र श्री रतन लाल मीना निवासी कावड तह. चौथ का बरवाडा

(अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 359 निर्णय दिनांक 15.3.2007 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:- 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
2. श्री घनश्याम गुप्ता

वकील अपीलान्ट
वकील रेस्पो.

:- निर्णय :-

दिनांक 20.8.2018

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल, नामा0 संख्या 359 निर्णय दिनांक 15.3.2007 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।


वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 359 दिनांक 15.3.2007 तस्दीक करने से पूर्व नामा0 के मद संख्या 14 में अंकित विक्रय पत्र का सही तरीके से अवलोकन नही किया जबकि विक्रय पत्र दिनांक 5.9.2005 में विक्रेता द्वारा भूखण्ड संख्या 7वी साईज 25x30 फुट कुल 750 वर्ग फीट अर्थात 83.33 वर्गगज भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होते हुए भी नामा0 के कालम संख्या 10 मे ख0न0 439 मे से कालम संख्या 11 मे 116 वर्ग मीटर दर्ज कर दिया जबकि 83.33 वर्गगज भूमि का क्षेत्रफल 69.67 वर्ग मीटर होता है इसलिए विवादित नामा0 संख्या 359 में 116 वर्ग मीटर गलत दर्ज कर दिया है। यह कथन भी किया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.4.2005 को विवादित भूमि ख0न0 439 मे अरूपान्तरित भूखण्ड संख्या 7 साईज 25x20 फुट कुल 500 वर्गफुट जिसका क्षेत्रफल 46.46 वर्ग मीटर होता है को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खरीदा गया है। एवं आज तक राजस्व रिकार्ड में जरिये नामा0 इन्द्राज नही होने के कारण अपीलान्ट ने दिनांक 1.6.2017 को राजस्व लोक अदालत मे न्याय आपके द्वार मे राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती इन्द्राज करते हुए विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण तकमील होने के पश्चात भी प्रभारी अधिकारी महोदय ने प्रकरण को धारा 136 एलआरएक्ट के बजाय नामा0 की अपील पेश करने के निर्देश दिये जाने पर यह अपील प्रस्तुत की गयी है। यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र की

अनदेखी करते हुए विवादग्रस्त नामा0 में विवादित भूखण्ड के क्षेत्रफल का केलकूलेशन की गलती करके अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर भूखण्ड संख्या 7 का मौका भी नहीं देखा जबकि भूखण्ड संख्या 7 के 20x25 फुट में अपीलान्ट ने सम्पूर्ण हिस्से पर निर्माण कार्य पूर्ण कर रखा है एवं रेस्पो. संख्या 2 व 3 ने भूखण्ड के मात्र चार दिवारी बना रखी है। अगर मौका देखा जाता तो वास्तविकता सामने आ जाती है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी नगर परिषद सवाईमाधोपुर में दिनांक 15.5.2017 को आवासीय पट्टा प्राप्त करने के लिए पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने के लिए गया तब प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होने पर नामा0 की नकल दिनांक 26.5.2017 को प्राप्त होने पर राजस्व अभियान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 1.6.2017 को निरस्त कर देने के उपरान्त दिनांक 12.6.2017 को नकल प्राप्त होने पर अन्दर मयाद मय प्रार्थना पत्र दफा 5 के पेश गयी है। अतः प्रस्तुत अपील को अन्दर मयाद मानते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त करने बादत निवेदन किया गया।

वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामा0 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5.9.2005 के आधार पर खोला गया है जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है। क्योंकि उक्त प्लॉट संख्या 7 बी साईज 30x25 कुल 750 वर्गफीट मेरे द्वारा श्रीमति विमलेश पत्नि श्री शिवसिंह चौधरी से जरिये विक्रय पत्र पृष्ठ संख्या 103 क्रम संख्या 2005002518 से क्रय किया गया है। एवं उक्त विक्रय पत्र का अपीलाधीन नामा0 के कॉलम संख्या 14 में स्पष्ट अंकन करते हुए उक्त नामा0 दर्ज फ़ैसल किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलाधीन नामा0 ख0न0 439 में से प्लॉट संख्या 7 बी साईज 30x25 कुल 750 वर्गफीट जो कि रेस्पो.द्वारा श्रीमति विमलेश पत्नि श्री शिवसिंह चौधरी से जरिये विक्रय पत्र पृष्ठ संख्या 103 क्रम संख्या 2005002518 से क्रय किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 83.33 वर्गगज या 69.67 वर्ग मीटर होता है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. के पक्ष में 116 वर्ग मीटर का नामा0 भरकर दर्ज फ़ैसल किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा भी उक्त ख0न0 439 में ही श्रीमति विमलेश पत्नि श्री शिवसिंह चौधरी से प्लॉट 7 साईज 20x25 कुल 500 वर्गफीट जिसका क्षेत्रफल 46.46 वर्ग मीटर होता है जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पृष्ठ संख्या 114 क्रम संख्या 2005000729 से क्रय किया है। जिसका अपीलाधीन नामा0 में कहीं भी इन्द्राज नहीं है जबकि अपीलाधीन नामा0 में 46.46 वर्ग मीटर का नामा0 अपीलान्ट के नाम भरा जाना चाहिए था। चूंकि अपीलाधीन नामा0 जरिये रजिस्टर्ड पत्र पृष्ठ संख्या 103 क्रम संख्या 2005002518 से क्रय किये गये क्षेत्रफल से अधिक का खोला गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामा0 विधिसम्मत होने की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपीलाधीन नामा0 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर बाद जाँच पुनः नये सिरे से नामा0 भरकर दर्ज फ़ैसल करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.8.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।


(पी0सी0 पवन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर